



(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पटना, दिनांक:

पत्रांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदार: श्री अमित कुमार, पुत्र-बीरेन्द्र सिंह, पता: लखीबाग मानपुर, जिला-गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर) बालु घाट, मौजा-सुलतानपुर, तहसिल-वारिसलीगंज, ब्लाक-वारिसलीगंज, जिला-नवादा में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2008 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदार: श्री अमित कुमार, पुत्र-बीरेन्द्र सिंह, पता: लखीबाग मानपुर, जिला-गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर) बालु घाट, मौजा-सुलतानपुर, तहसिल-वारिसलीगंज, ब्लाक-वारिसलीगंज, जिला-नवादा से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 22.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदार: श्री अमित कुमार, पुत्र-बीरेन्द्र सिंह, पता: लखीबाग
मानपुर, जिला-गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/विशुनपुर) बालु घाट,
मौजा-सुलतानपुर, तहसिल-वारिसलीगंज, ब्लाक-वारिसलीगंज, जिला-नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

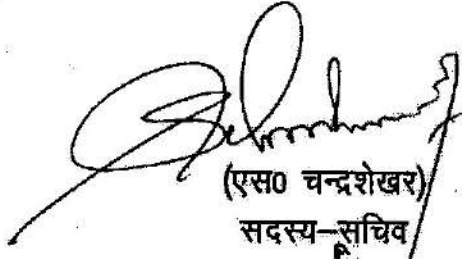
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1291

पटना, दिनांक :- 15-9-23

प्रतिलिपि:- श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्वद, पटना को निदेश है कि दिनांक:
22.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्वद के
वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 22.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी
एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।


(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव 13/9/23

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदार: श्री अमित कुमार, पुत्र: बीरेन्द्र सिंह, पता: लखीबाग मानपुर, जिला: गया (नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर बालू घाट, मौजा: सुल्तानपुर, तहसिल: वारिसलीगंज, ब्लॉक: वारिसलीगंज, जिला: नवादा) का नवादा जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 05:15 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2437/2023, dated 09.06.2023 के आलोक में श्री उज्जवल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 05:15 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 19.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर बालू घाट, मौजा: सुल्तानपुर, तहसिल: वारिसलीगंज, ब्लॉक: वारिसलीगंज, जिला: नवादा के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री अशोक कुमार, ग्राम: महमदलीचक, जिला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू से लदे वाहनों को ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते में धीमी गति से परिचालन करने का आश्वासन दिया जाय, ततपश्चात् ही इस बालू घाट का संचालन शुरू किया करने की अनुमति प्रदान कि जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा कमिटी के समक्ष स्वीकार किया गया।
2.	श्री दिनानाथ प्रसाद, ग्राम: महमदलीचक, जिला: नवादा।	इनके द्वारा रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री दिनानाथ प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री रामाशीष प्रसाद, ग्राम: पैगरो, जिला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू से लदे वाहनों को ग्रामीण क्षेत्र में धीमी गति से परिचालन किया जाय, स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय ततपश्चात् बालू घाट का संचालन शुरू किया जाय।

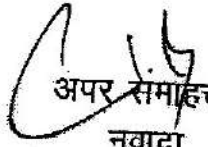
		उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री मनोज कुमार, ग्राम: कोमरी दीघा, जिला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमति रूप से जल का छिड़काव किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
5.	श्री विकास कुमार, ग्राम: विशनपुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से हमलोगों को कोई परेशानी नहीं है। जल्द से जल्द बालू घाट का संचालन नियमानुकूल शुरू करने का अनुरोध किया ताकि होने वाले अवैध खनन पर रोग लगे।
6.	श्री ललन प्रसाद, ग्राम: महमदलीचक, जिला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जल्द से जल्द बालू घाट का संचालन शुरू किया जाय जिससे अवैध बालू खनन पर रोक लग जाय, धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमति रूप से जल का छिड़काव किया जाय साथ ही ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
7.	श्री मोहम्मद असरफ अली, ग्राम: पैंगरी, जिला: नवादा।	इनके द्वारा भी रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री दिनानाथ प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
8.	श्री अजीत कुमार, ग्राम: बागी वरडीहा, अंचल: वारसलीगंज, जिला: नवादा।	इनके द्वारा भी सुझाव दिया गया कि जल्द से जल्द बालू घाट का संचालन शुरू किया जाय, धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमति रूप से जल का छिड़काव किया जाय साथ ही ज्यादा से ज्यादा

		वृक्षारोपण किया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
--	--	--

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

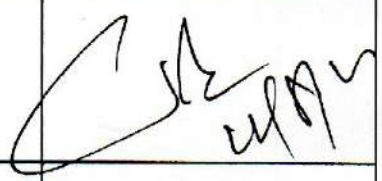
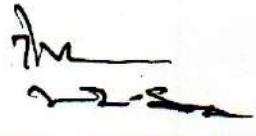
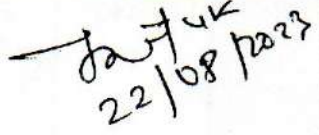
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 वि.रा.प्र.नि.पर्वद,
 गया


 अपर सहायक,
 नवादा

उपस्थिति सूची

मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्शन, साझेदार: श्री अमित कुमार, पुत्र-बीरेन्द्र सिंह, पता: लखीबाग मानपुर, जिला-गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिशुनपुर) बालु घाट, मौजा-सुल्तानपुर, तहसिल-वारिसलीगंज, ब्लॉक-वारिसलीगंज, जिला-नवादा का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 22.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ujjwal Ks. Singh Addl. Collector NABADA		
2.	Pram Kumar Caretaker Office NABADA		
3.	श्रीधर कुमार मुखर्जी	श्रीधर पदवीधारी, 100 5 प्र नि पदवी, गया	
4.	MUKESH KUMAR	NAB, Nawada	
5.	सियाराम कन्स्ट्रक्शन अमित कुमार लखीबाग मानपुर गया		
6.	संतोष कुमार	ग्राम - रानीपुर पो - भाखर प्र - अकबरपुर नवादा	Santosh Kumar
7.	रावीन कुमार	ग्राम - रानीपुर पो - भाखर प्र - अकबरपुर (नवादा)	रावीन कुमार
8.	मुन्ना सिंह	ग्राम - रानीपुर पो - भाखर प्र - अकबरपुर (नवादा)	मुन्ना सिंह
9.	अरुण कुमार	ग्राम - कुमारी पो - धुआ प्र - धुआ नवादा	अरुण कुमार

10.	दिनेश कुमार	ग्राम रसमपुर	दिनेश कुमार
11.	अशोक कुमार	ग्राम - महमदलीयाक पौरो - लान	अशोक कुमार
12.	मंगल कुमार	ग्राम - कांही डोहर पो. बंधा अका (पु) बंधा	मंगल कुमार
13.	बालकृष्ण	ग्राम - जेपाथु (पु) पुठ - मधु मकवा (पु) नगडा	बालकृष्ण
14.	शुभम प्रसाद	ग्राम - विजय नगर अका. 5. ग. नगडा	शुभम प्रसाद
15.	DILIP PANDEY	Anti, Nawada	Dilip
16.	Ajay Kumar	Dimapur - Beahm	~~Ajay~~
17.	रवि शर्मा		रवि शर्मा
18.	विजय कुमार	लोहरापुरा	विजय कुमार
19.	Ajeet Kumar	वाला बरडीहा	अजीत कुमार
20.	Bipin Kumar	Bagi bardiha	BKsm

21.	प्रदीप कुमार	विश्वपुर	प्रदीप कुमार
22.	सुधीर कुमार	विश्वपुर	सुधीर कुमार
23.	शंभू कुमार	विश्वपुर	
24.	राजेश कुमार	विश्वपुर	राजेश कुमार
25.	विकास कुमार	विश्वपुर	
26.	विकास कुमार	विश्वपुर	विकास कुमार
27.	नवलेश कुमार	विश्वपुर	नवलेश कुमार
28.	सुधीर कुमार	विश्वपुर	सुधीर कुमार
29.	शंभू कुमार	विश्वपुर	शंभू कुमार
30.	लालेश	विश्वपुर	लालेश
31.	प्रिंस कुमार	विश्वपुर	प्रिंस कुमार

32.	अनूप सिंह	विशालपुर	अनूप सिंह
33.	शुभेरा माहिया	विशालपुर	शुभेरा माहिया
34.	राजीव कुमार	विशालपुर	राजीव कुमार
35.	सुधा माहिया	विशालपुर	सुधा माहिया
36.	Anul Ka	विशालपुर	Anul Ka
37.	मां डो माहिया	विशालपुर	मां डो माहिया
38.	संजीव कुमार	विशालपुर	संजीव कुमार
39.	निशिका कुमार	विशालपुर	निशिका कुमार
40.	शिव कुमार	विशालपुर	शिव कुमार
41.	अरवि कुमार	विशालपुर	अरवि कुमार
42.	टमाटर महीना	विशालपुर	टमाटर महीना

43.	नेहाल खेर	पंजाबी	नेहाल खेर
44.	मो-अशरफ 2/1/19	पंजाबी	मो-अशरफ 2/1/19
45.	कुमल कश्यप	खरमनचक, मोहनपुर	Kunal
46.			



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट-<http://bspcb.bihar.gov.in>

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स सियाराम कन्स्ट्रक्सन, श्री अमित कुमार, पुत्र-विरेन्द्र सिंह, पता: लखीबाग मानपुर, जिला-गया द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 07 (सुलतानपुर/बिश्नुपुर) बालू घाट, मौजा-सुल्तानपुर, तहसिल-वारिसलीगंज, ब्लॉक-वारिसलीगंज, जिला-नवादा में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक-सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, नवादा; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा एवं जिला खनन कार्यालय, नवादा के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती हैं।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

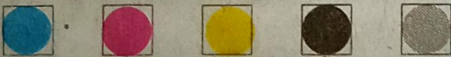
दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
22.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	वारिसलीगंज, जिला-नवादा	नवादा जिला अन्तर्गत सुल्तानपुर	सकरी नदी ब्लॉक: 07	अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

सदस्य सचिव

PR. No. 005437 (Ni.Ni) 2023-24

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।



1

प्रमाण-स्वरूप Date - 19/07/23

for Newsworld - 7

